R-3731-PBR/16

समक्ष अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.

निगरानी प्रकरण क............./2016

श्रीमति सोनिया सिंह पत्नी श्री जीवन सिंह
आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी–फ्लेट कमांक 1,
द्वितीय तल, अदिति अपार्टमेंट–4, भूखण्ड क. 352,
त्रिलोचन सिंह नगर, ई–8, बाबड़िया कला,
कालोनी रोड, भोपाल म.प्र.। ----- निगरानीकर्ता/आवेदिका

विरूद्व

1. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमि0
द्वारा प्रबंधक शाखा एम॰ पी॰ नगर ज़ोन ॥
भोपाल म.प्र.

2. म.प्र. शासन
द्वारा नायब तहसीलदार महोदय,
कक्ष कमांक 12, तहसील हुजूर
जिला भोपाल म.प्र. ---- अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता/आवेदिका की ओर माननीय अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा अंतर्गत म.प्र. लोक धन शोध्य राशियो की वसूली नियम 1988 के अंतर्गत मांग की सूचना प्रकरण क. 1476 आई.सी.आई.सी.आई. /अ–76/2016–17 दिनांक 12.09.2016 से व्यथित होकर निम्न वैधानिक तथ्यो एवं आधारो पर श्रीमान के समक्ष उक्त निगरानी प्रस्तुत है:–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3731 –पीबीआर / 16 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-11-2016	आवेदिका की ओर से श्री एम0एल0 रघुवंशी, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । तहसीलदार के सूचना पत्र कमांक 1476 / आई.सी.आई.सी.आई / अ–76 / 2016–17 , दिनांक 12–9–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा म0प्र0 लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली नियम 1988) के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है । उक्त नियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही के विरूद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	